

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बड़जलास - मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या - 14/2020

**प्रार्थी**  
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम  
अभिहित अधिकारी, नागौर

**बनाम**

**अप्रार्थी**  
शिवरतन कांकानी पुत्र गोरधन जाति माहेश्वरी  
निवासी कांकानियों की गली, जायल तहसील जायल।  
फर्म-मैसर्स शिवरतन महावीर प्रसाद, सदर बाजार,  
तहसील जायल जिला नागौर।

**आदेश**

दिनांक : 17.12.2020

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी को दिनांक 06.10.2019 को मैसर्स शिवरतन महावीर प्रसाद, सदर बाजार, जायल तहसील जायल जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ Sugar Boiled Confectionary (Roopmilan Brand) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1188 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 116/एक्ट/2019/116 दिनांक 15.10.2019 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया खाद्य पदार्थ Sugar Boiled Confectionary (Roopmilan Brand) का नमूना Mis-Branded होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त शिवरतन कांकानी पुत्र गोरधन जाति माहेश्वरी निवासी कांकानियों की गली, जायल तहसील जायल जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 18-06-2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपना जवाब दिनांक 17.12.2020 को पेश किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया कि मेरे यहां से जो कन्फेन्स गोली का जो जांच हेतु सेम्पल लिया गया था। उसमें मेरी किसी प्रकार की गलती नहीं है। यह तो कम्पनी से पैकिंग माल आया था और इसमें मेरे द्वारा किसी प्रकार की फेरबदल नहीं की गई। भविष्य में पुनः इस प्रकार में कार्य नहीं करूंगा। अतः कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा अप्रार्थी को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 116/एक्ट/2019/116 दिनांक 15.10.2019 के अनुसार खाद्य पदार्थ Sugar Boiled Confectionary (Roopmilan Brand) का नमूना Mis-Branded पाया गया है। अतः अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी शिवरतन कांकानी पुत्र गोरधन जाति माहेश्वरी निवासी कांकानियों की गली, जायल तहसील जायल जिला नागौर पर रू. 45,000/- अक्षरे रूपये पैंतालीस हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)

अति. जिला मजिस्ट्रेट नागौर  
नागौर (राजस्थान)